संख्या– 103 /XV-1/2011/7(81)2005

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2011

विषयः पशुपालन विभाग में लागू वर्तमान सेवा शुल्को एवं लेवी मूल्यों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पशुकल्याण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या–1392-1395/Ukd.AWB /2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 एवं पत्र संख्या–1396-99/Ukd. AWB/2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 352/XV-1/2005 टी०सी० दिनांक 08 नवम्बर, 2005 के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के वास्तविक व्यय के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा ली जा रही उपचार लेवी, स्वास्थ्य परीक्षण लेवी एवं पशुधन परीक्षण लेवी की दरों को आशिंक रूप से संशोधित करने की श्री राज्यपाल निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र०सं०	सेवाऐं	वर्तमान दरें (₹)	संशोधित दरें (₹)
1.	**उपचार लेवी की दरें**		
क.	पशु (बड़ा)	10.00	10.00
ख.	भेड़/बकरी/सूअर	5.00	5.00
ग	(1).कुत्ता/बिल्ली (शहरी क्षेत्रों हेतु)*	40.00	40.00
	(2).कुत्ता/बिल्ली (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	40.00	10.00
घ.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	10.00	निःशुल्क
2.	**शव परीक्षण लेवी की दरें**		
क.	बड़ा पशु	100.00	100.00
ख.	छोटा पशु	20.00	20.00
ग.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	100.00	निःशुल्क
3.	**स्वास्थ्य परीक्षण लेवी की दरें**		
क.	बड़ा पशु	50.00	50.00
ख.	छोटा पशु	20.00	20.00
ग.	विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी पशु	50.00	निःशुल्क

2. शहरी क्षेत्रों से तात्पर्य राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत पशुपालकों से है।

3. उक्त शुल्क से होने वाली प्राप्तियों राज्य के सुसंगत लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

letter_10(tiwari)

4. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सेवाओं हेतु ली जा रही लेवी की दरें पूर्ववर्ती शासनादेश दिनांक 08 नवम्बर, 2005 के अनुसार यथावत रहेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–201(NP)/XXVII(4)/2010 दिनांक–18 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या – 103 (1)/XV-1/2011/तददिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्यपशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या–1238 / XV-1 / 14 / 7(9)2014

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 17 नवम्बर, 2014

विषयः राज्यान्तर्गत मान्यता प्राप्त गौसदनों में शरणागत गौवंश हेतु निःशुल्क विभागीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, पशु कल्याण बोर्ड के पत्र संख्या 207–208Ukd.AWB(11/19-O)/2014-15 दिनॉक 24.04.2014 के द्वारा राज्यान्तर्गत मान्यता प्राप्त गौसदनों में शरणागत अलाभकर एवं निराश्रित गौवंश के उपचार, शव परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, शव विच्छेदन एवं जॉच सेवाओं को निःशुल्क किये जाने के अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 352 / XV-1/2005 TC दिनॉक 08 नवम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या–103 / XV-1/2011/7(81)2005 दिनॉक 23 मार्च, 2011 के द्वारा निर्धारित शुल्कों में मान्यता प्राप्त गौसदनों में अवस्थित गौवंश हेतु छूट प्रदान करते हुए उपरोक्त सेवाओं को निःशुल्क किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपरोक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 38(NP)/XXVII(4)/2014 दिनॉक 30 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

17/11/2014

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव,

संख्या–1238 / XV-1/ 14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या–   /XV-1/2016/7(9)14

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1   देहरादून : दिनांक 23, दिसम्बर, 2016

विषयः SPCA के सदस्य अथवा प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा पशुचिकित्सालय में लाये गये निराश्रित पशुओं को विभागीय पशुचिकित्सकीय सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–1238/XV-1/14/7(9)14 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के द्वारा मान्यता प्राप्त गौसदनों में शारणागत, अलाभकर एवं निराश्रित गौवंश के उपचार, शव परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, शव विच्छेदन एवं जाँच सेवाओं को निःशुल्क किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

2. इस संबंध में Criminal Misc. Application 1526/2016 सुश्री पूजा बहुखण्डी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 27.10.2016 को दिये गये निर्देश के प्रस्तर–16(g) के अनुपालन के क्रम में उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पशु क्रूरता निवारण समिति (एस०पी०सी०ए०) अथवा प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा निराश्रित पशुओं को उपचार हेतु पशुचिकित्सालय में लाये जाने पर उन्हें विभागीय पशुचिकित्सकीय सेवाऐं निःशुल्क प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपरोक्त शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–74 (NP)/XXVII(4)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– 1038 (1)/XV-1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड एवं गौ सेवा आयोग, देहरादून।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
20.12.2016
(कै०आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव